




**D.S.W.**

**Ref. No. KU/DSW/ 56 /2022**

**Date: 17/08/2022**

स्नातक प्रवेश (अकादमिक वर्ष 2022–23) Four Year Under Graduate Programme (FYUGP)  
Learning Outcome Based Curriculum Framework (LOCF)/Choice Based Credit System (CBCS) -  
झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों हेतु NEP-2020 के प्रावधानों के अनुसार  
सभी संबंधितों हेतु सामान्य सूचना

1. स्नातक प्रवेश के लिए आवेदन Chancellor Portal (<https://jharkhanduniversities.nic.in>) के माध्यम से Online भरे जाएंगे।
2. झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों हेतु NEP-2020 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया निर्मित FYUGP की रूपरेखा पर आधारित होगा।
3. नियमित पाठ्यक्रमों (Regular Course) हेतु चार संकाय निम्नवत् है।
  - i) Natural Science (प्राकृतिक विज्ञान)
  - ii) Social Science (समाज विज्ञान)
  - iii) Humanities (मानविकी)
  - iv) Commerce (वाणिज्य)
4. स्नातक में सभी संकायों/विषयों में नामांकन हेतु इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम (33%) अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य/आवश्यक है।
5. इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर के परीक्षा में विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातक के किसी भी संकाय/विषय (मुख्य/Major हेतु) में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए योग्य होंगे (भौतिकी को मुख्य (Major) विषय में Opt करने हेतु भौतिकी एवं गणित दोनों विषयों में न्यूनतम (33%) अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)।
6. इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर के परीक्षा में वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातक के किसी भी संकाय/विषय (मुख्य/Major हेतु) में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए योग्य होंगे (प्राकृतिक विज्ञान को छोड़कर)।
7. इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर के परीक्षा में कला संकाय से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातक के केवल मानविकी/समाज विज्ञान संकाय के विषय (मुख्य/Major हेतु) में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए योग्य होंगे परन्तु आवेदक को संबंधित विषय में इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर के परीक्षा में न्यूनतम (33%) अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य/आवश्यक है।
8. आरक्षण नीति से संबंधित नियम/शर्त हेतु कोल्हान विश्वविद्यालय का UG Regulations देखें।



(डॉ. एस.सी. दास)

संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण  
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।